न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 161/2021
वाद पत्र 169/2021
निर्णय दिनांक : 28.06.2024

1. गीता देवी पत्नी श्री भगवान सहाय ,जाति–हरियाणा ब्राहम्ण निवासी– ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र भैरू जाति–हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजूलाल पुत्र भैरू जाति–हरियाणा ब्राहम्ण निवासी– ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. सीताराम पुत्र भैरू जाति–हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. हरिनारायण पुत्र भैरू जाति–हरियाणा ब्राहम्ण निवासी– ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

6. कालूराम पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति– हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री लालाराम जाति– हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. छाजूराम पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण उम्र... वर्ष, जाति– हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. नानगराम पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति– हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. मनभर देवी पत्नी श्री सूरज जाति– हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. लाली देवी पत्नी रामूलाल शर्मा जाति– हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रोफार्मा प्रतिवादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 12 के कब्जे काश्त [illegible] खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खसरा संख्या 427 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा संख्या 443 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] हैक्टयर, जो वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसका उपरोक्त खातेदारान का नाम मुताबिक जमाबन्दी सम्वत [illegible] से 2077 मे दर्ज है। उपरोक्त खाता मे वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की [illegible] खातेदारी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.02 हैक्टयर की सीमा से लगता हुआ प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 0.46 हैक्टयर स्थित है। उपरोक्त वाद

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested

मे खसरा नम्बर 428 व 429 ही विवादित है। जिसको वादग्रस्त सम्पति के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 को उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति खसरा नम्बर 428 जरिये उपहार पत्र दिनांक 20.09.2021 से प्राप्त हुई है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 द्वारा काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 428 की सीमा से लगती हुई प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी के खसरा नम्बर 429 पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनवाने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा उनके कब्जे व स्वामित्व के खसरा नम्बर 429 की सीमाओ से लगभग 10 फिट बाहर जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के कब्जे व स्वामित्व के खसरा नम्बर 428 पर बिना अधिकार के पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु दिनांक 29.11.2021 को नीव खोदवाने का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 द्वारा मौके पर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा खसरा नम्बर 428 की सीमा में घुसकर अवैधानिक निर्माण को रोकने हेतु अवगत कराये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 से कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपनी मनमर्जी अनुसार पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर रहेगे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के उपरोक्त कथनो पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 19 ने निवेदन कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 खसरा नम्बर 429 की सीमा मे ही बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करे या मौके पर सीमाज्ञान करवाकर बाद मे निर्माण करे, वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की भूमि खसरा नम्बर 428 पर अतिक्रमण कर निर्माण नही करे वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के उपरोक्त कथनो से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अत्यधिक नाराज होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 को ऐलानिया धमकी दी कि आज तो हम वापिस जा रहे है परन्तु दो तीन दिवस मे असामाजिक तत्वो को लाकर ताकत के बल पर मनमर्जी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 428 पर अतिक्रमण कर अवैधानिक रूप से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करके रहेंगे। इस कारण यह वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी की प्रार्थना है किः—

(क) प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को इस अमर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की कब्जे व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 428 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जे व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 429 की सीमाओं पर बिना सीमाज्ञान व बिना नाप जोक करवाये अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नही करे तथा वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से समस्त वाद हर्जा खर्चा दिलवाया जावे। अन्य न्याय सहायता जो वादी हितकर हो दिलवायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त विवादग्रस्त आराजी से संबधित प्रकरण लम्बित है। प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन पर पत्रावली तलब की गई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में तथा समान पक्षकारों के मध्य प्रकरण संख्या 161/2021 व 169/2021 विचाराधीन है। उक्त दोनों प्रकरणों में चाहा गया अनुतोष समान है। दोनों प्रकरण को समेकित किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान की बहस व पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण संख्या 161/2021 व 169/2021 में समान पक्षकार, समान आराजीयात तथा समान अनुतोष चाहा गया है। इसलिये प्रकरण संख्या 169/2021 को प्रकरण संख्या 161/2021 के साथ हमफिता किये जाने के आदेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस का मनन किया एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का सीमा विवाद है। दोनो पक्षों का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

स्थाई निषेधाज्ञा का दावा है। अतः तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि दोनो पक्षों से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर उभयपक्षकारान की भूमि का सीमाज्ञान करे। सीमाज्ञान के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी एक–दूसरे की सीमा में दखल नही देवे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested